झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2021

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2021

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 (अंगीकृत) में संशोधन हेतु विधेयक ।

भारत गणतंत्र के 72वें वर्ष में झारखंड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ -
   (1) यह अधिनियम "झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2021" कहलाएगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।
   (3) यह राजकीय गजट/ई-गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिन्यिम, 1981 (अंगीकृत) (एतद्पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अध्याय-I की धारा-2 के खंड-'फ' के पश्चात् दो नया उपखंड निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

"(ब) "भूमि समुच्चयन' से अभिप्राय अधिनियम, नियमावली एवं विनियम के अनुसार उपयोग हेतु भूखण्डों के वैध एकत्रीकरण से है; (भ) 'उचित प्राधिकार' से अभिप्राय किसी भी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार या किसी अन्य एजेन्सी से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।"

3. मूल अधिनियम के अध्याय-II की धारा-11 के अन्तर्गत चैथी पंक्ति में 'अधिग्रहण' शब्द के पश्चात् शब्द समूह "भूमि समुच्चयन' अन्तःस्थापित किया जाएगा।

4. मूल अधिनियम के अध्याय-III की धारा-12 की उपधारा-1 के खंड-(क) में शब्द 'भूमि अधिग्रहण' के पश्चात् अर्द्ध विराम (,) एवं शब्द समूह 'भूमि समुच्चयन' अन्तःस्थापित किया जाएगा।

5. मूल अधिनियम के अध्याय- III की धारा-15 के खंड-(क) में 'खरीद' एवं अर्द्ध विराम (,) के पश्चात् शब्द समूह 'भूमि समुच्चयन' एवं अर्द्ध विराम चिन्ह् (,) अन्तःस्थापित किया जाएगा।

6. मूल अधिनियम के अध्याय-VII की धारा-60 में शीर्षक "प्राधिकार" के पश्चात् "या राज्य/केन्द्र सरकार के किसी एजेन्सी/विभाग" अन्तःस्थापित किया जाएगा।

7. मूल अधिनियम के अध्याय- VIII की धारा-80 की उपधारा-2 के खंड-क में "प्लॉट्स" के पश्चात् "और उचित प्राधिकार द्वारा भूमि समुच्चयन के लिए योजना का सूत्रण और कार्यान्वयन" अन्तःस्थापित किया जाएगा।

8. निरसन: झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद् द्वारा निरसित समझा जाएगा।

यह विधेयक झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2021 दिनांक - 23 मार्च, 2021 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक- 23 मार्च, 2021 को सभा द्वारा पारित हुआ |

(रबीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्ष |

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 5—50—6-4-2021